भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5266

(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री का प्रभाव

5266. श्री इमरान मसूदः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस आशय का कोई सर्वेक्षण किया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री बच्चों और किशोरों की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव/विपरीत प्रभाव डाल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के नाम पर दिखाई जाने वाली सामग्री समाज में हिंसा, कामुकता और अपराध को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ओटीटी प्लेटफार्म पर मनोरंजन के नाम पर दिखाई जाने वाली सामग्री में अश्लील शब्दों, अभद्र भाषा, कामुकता और नग्नता के प्रयोग को रोकने अथवा विनियमित करने के लिए कोई नियम बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री को सेंसर करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं।

इन नियमों के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित भाग-III में ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशकों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करें जो वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा निषिद्ध है और वे नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित स्व-वर्गीकरण निम्नानुसार 5 श्रेणियों में करें:

सामग्री की प्रकृति (के लिए उपयुक्त)	**वर्गीकरण**
अप्रतिबंधित पहुंच, सभी आयु वर्गो के लिए और परिवार सहित देखने लायक	यू
7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए तथा 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 7+
13 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए तथा 13 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 13+
16 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, तथा 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन में देखा जा सकता है	यू/ए 16+
केवल वयस्कों के लिए	ए

इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में उपयुक्त सरकारों द्वारा गैरकानूनी कार्य या सामग्री के बारे में मध्यस्थों को ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने/अक्षम करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है।

*****